कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ0ग0)

E-mail bemetaracmho@yahoo.com

कमांक/सीधी भर्ती/स्वास्थ्य/2022/ 975 **बेमेतरा, दिनांक 08/06/2022**

–:: विज्ञापन ::–

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार जिला स्तरीय सीधी भर्ती के रिक्त पदों भेषजज्ञ वर्ग–दो (फार्मासिस्ट ग्रेड–02), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरूष), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला), ड्रेसर वर्ग–एक, ड्रेसर वर्ग–दो, लैब असिस्टेंट पदों की पूर्ति हेतु छ0ग0 राज्य के मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र भारतीय डाक सेवा के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट डाक से **दिनांक 10/06/2022 से दिनांक 30/06/2022 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–बेमेतरा में कार्यालयीन समय 05:30** बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

"अ" जिलास्तरीय रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	योग
1.	भेषजज्ञ वर्ग–दो (फार्मासिस्ट ग्रेड–02)	25300–80500 लेवल–6	11	अनारक्षित	4	2	1	1	08
				अ.ज.जाति	0	0	0	0	00
				अ.जा.	0	0	0	0	00
				अ.पि.व.	2	1	0	0	03
2.	ड्रेसर वर्ग–एक	19500–62000 लेवल–4	19	अनारक्षित	8	3	1	1	13
				अ.ज.जाति	1	0	0	0	01
				अ.जा.	1	1	0	0	02
				अ.पि.व.	3	0	0	0	03
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "पुरूष"	22400–71200 लेवल–5	32	अनारक्षित	21	–	5	0	26
				अ.ज.जाति	3	–	0	0	03
				अ.जा.	0	–	1	0	01
				अ.पि.व.	1	–	1	0	02
4.	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला"	22400–71200 लेवल–5	06	अनारक्षित	3	–	0	0	03
				अ.ज.जाति	0	–	0	0	00
				अ.जा.	1	–	0	0	01
				अ.पि.व.	2	–	0	0	02
5.	लैब असिस्टेंट	19500–62000 लेवल–4	01	अनारक्षित	1	0	0	0	01
				अ.ज.जाति	0	0	0	0	00
				अ.जा.	0	0	0	0	00
				अ.पि.व.	0	0	0	0	00
6.	ड्रेसर वर्ग–दो	18000–56900 लेवल–3	01	अनारक्षित	1	0	0	0	01
				अ.ज.जाति	0	0	0	0	00
				अ.जा.	0	0	0	0	00
				अ.पि.व.	0	0	0	0	00

"ब" शैक्षणिक योग्यता :–

पदनाम	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
भेषजज्ञ वर्ग–दो (फार्मासिस्ट ग्रेड–02)	(1) फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा; एवं समकक्ष डिग्री तथा

C. M. & H. O.
Bemetara (C.G.)

Scanned with CamScanner

	(2) छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल से जीवित पंजीयन। (3) छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, BL, HH दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे।
ड्रेसर वर्ग–एक	(1) 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये; (2) आर्थोपैडिक–कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये; और (3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिये। (4) छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, HH दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे।
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "पुरूष"	(1) जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; (2) प्रशिक्षण केन्द्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होना चाहिए; एवं (3) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकृत होना चाहिये। (4) छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, OA दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे।
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला"	(1) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये; (3) छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन होना चाहिये; (4) छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, OA दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे।
प्रयोगशाला सहायक (लैब असिस्टेंट)	(1) 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये; (2) छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, OA, OAL, BL, HH दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे।
ड्रेसर वर्ग–दो	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, HH दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे।

टीप :–दर्शित रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है।

1. आवेदन तिथि को वांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
2. भेषजज्ञ वर्ग–दो (फार्मासिस्ट ग्रेड–02), ड्रेसर वर्ग–एक, प्रयोगशाला सहायक (लैब असिस्टेंट) ड्रेसर वर्ग–दो के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार ही पात्र होगें।

2.1 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "पुरूष" के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी **केवल पुरूष** उम्मीदवार ही पात्र होगें।

2.2 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला" के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य मूल निवासी के **केवल महिला** उम्मीदवार ही पात्र होगें।

C. M. & H. O.
Bemetara (C.G.)

Scanned with CamScanner

3. **न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा–** आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष (छ.ग. के स्थानीय निवासी के लिये) होनी चाहिये। आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, नियम, आदेश यथासंशोधित लागू होगें।

3.1 छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट पत्र कमांक 3–2/2015/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है उक्त निर्देश लागू होंगें।

3.2 छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3–1/2016/1–3 रायपुर दिनांक 10.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

3.3 विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

3.4 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष जैसे – छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशो के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

3.5 आयु संबंधी प्रमाण हेतु हाईस्कूल (10वीं) के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होगा। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.6 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग (गैर किमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

4. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति के साथ **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–बेमेतरा (छ0ग0)** के पते पर भारतीय डाक के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा ही प्रेषित स्वीकार्य होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद .... (पदनाम लिखें) हेतु आवेदन लिखना अनिवार्य है। व्यक्तिगत व निजी डाक सेवा के माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30.06.2022 (कार्यालयीन समय 05.30 बजे) तक है। अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

5. आवेदन केवल शासकीय रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किये जायेंगे, अन्य माध्यमों जैसे :– लोकल डाक, सीधे कार्यालय में आवेदन, कोरियर, के माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र एक बंद लिफाफे में होना चाहिए, बंद फिलाफे के ऊपर साफ अक्षरों में आवेदित पद का नाम व संवर्ग का उल्लेख हो एवं आवेदक अपने पत्र व्यवहार का पता अवश्य अंकित करें।

6. बंद लिफाफे के अंदर आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन में वांछित समस्त दस्तावेज स्वयं अभिप्रमाणित कर, 02 पासपोर्ट साईज कलर फोटो, एवं 02 लिफाफा जिसमें आवेदक का नाम पूरा पता, मो.नं., उल्लेखित हो एवं 05–05 रू. का डाक टिकट संलग्न करना अनिवार्य है।

7. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता/शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन करें। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में विज्ञापन में चाही गई जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यान पूर्वक भरा जावे तथा चाहे गये दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

8. **आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जवाबदारी अभ्यर्थी के स्वयं की होगी।**

<u>सामान्य नियम एवं शर्ते तथा आवश्यक निर्देश</u> :– 1. छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम–2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) लागू होंगें।

C. M. & H. O.
Bemetara (C.G.)

Scanned with CamScanner

2. अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

3. भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं धारण करने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल कौंसिल/नर्सिंग कौंसिल/फार्मेसी कौंसिल में जीवित पंजीयन, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है।

4. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन (सी) 592/2012 रिट पिटीशन (सी) 593/2012 या रिट पिटीशन (सी) 594/2012 में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तयों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

6. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होगें, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते है, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार दिव्यांगता से बाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही किया जावेगा।

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों का निर्धारण जिले में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो चयन हेतु पात्र नही होगें। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानो में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

12. आवेदक के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक या न्यायालयीन प्रकरण लंबित न हो, अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

13. विज्ञापन एवं भर्ती के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र–अपात्र सूची, मेरिट सूची तथा भर्ती संबंधी अन्य समस्त जानकारियाँ कार्यालय के सूचना पटल पर एवं बेमेतरा जिले के वेबसाईट **www.bemetara.gov.in** के माध्यम से दी जावेगी।

14. अभ्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य/गलत पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदक की अर्हता समाप्त कर दी जावेगी।

15. विज्ञापन एवं भर्ती प्रक्रिया के संबंध में नियम, शर्तें अन्य आवश्यक निर्देश कार्यालय के सूचना पटल पर एवं बेमेतरा जिले की वेबसाईट **www.bemetara.gov.in** पर देखा जा सकता है।

16. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 28.07.2020 के तहत "किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिविक्षा पर रखा जावेगा" एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होगें।

17. 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान चयनित अभ्यार्थियों/शासकीय सेवक को वित्त निर्देश 21/2020 अनुसार स्टायपेण्ड देय होगा। संशोधित छ.ग. मूलभूत नियम–22 सी (1) अनुसार

C. M. & H. O.
Bemetara (C.G.)

Scanned with CamScanner

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा।

18. **अनर्हताएं :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961 के नियम–6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–**

18.1 कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी। परंतु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

18.2 कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं माना जायेगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये। परंतु आपवादिक मामले में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

18.3 कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे की आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

18.4 कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के किसी अपराध में दोष सिद्ध ठहराया गया जो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा। परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चिय होने तक लंबित रखा जायेगा।

18.5 कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

19. विज्ञापन में वांछित समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के आवेदन की तिथि को होना अनिवार्य है, उसके बाद जारी हुए दस्तावेज/प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।

20. आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में भर्ती संबंधी समस्त जानकारी एवं रिक्त पदों की स्थिति संवर्गवार भति–भांति अवलोकन कर लेवें।

21. विज्ञापित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि हो सकती है।

22. मेरिट में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

23. **चयन प्रकिया/चयन हेतु मापदण्ड :– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अंतर्गत् अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग सेवा भर्ती नियम 2013 एवं संशोधित नियम–2020 अनुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र कमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21 मार्च 2022 में दिये गये निर्देशानुसार भर्ती नियम–2013 के नियम–6 के उपनियम–5 में प्रावधानित (शैक्षणिक योग्यता का 85 अंक एवं अनुभव का 15 अंक जोड़कर कुल 100 अंक) मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जावेगा।**

23.1 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरूष), एवं ड्रेसर ग्रेड–1 पद हेतु 12 वीं कक्षा के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 50 प्रतिशत अंक प्रावधानित है।

23.2 (क) ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) पद हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 35 अंक प्रावधानित है।

(ख) ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरूष) पद हेतु बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 35 अंक प्रावधानित है।

(ग) ड्रैसर ग्रेड–1 पद हेतु आर्थोपैडिक–कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 35 अंक प्रावधानित है।

23.3 फार्मासिस्ट ग्रेड–2 पद हेतु फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 85 अंक प्रावधानित है।

C. M. & H. O.
Bemetara (C.G.)

Scanned with CamScanner

23.4 ड्रेसर ग्रेड–02 पद हेतु 10 वीं के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 85 प्रतिशत अंक प्रावधानित है।

23.5 लैब असिस्टेंट पद हेतु 12 वीं के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 85 प्रतिशत अंक प्रावधानित है।

23.6 छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के आदेश कमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07 दिसम्बर 2021 एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0 के पत्र कमांक/स्था.अवि./405/2021/1262 नवा रायपुर, दिनांक 03/11/2021 अनुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले एस.डी.आर.एफ.,डी.एम.एफ. एवं सी.एस.आर. मद से कार्यरत अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को आवेदित पद पर ही कार्य करने पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा। (उक्त संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश प्रति एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने की स्थिति में ही परीक्षण उपरांत ही अनुभव मान्य किया जावेगा)

23.7 छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त कार्यरत संविदा/अस्थाई/जे.डी.एस./डी.एम.एफ./एन.एच.एम. अंतर्गत् प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 03 अंक अधिकतम 05 पूर्ण वर्ष हेतु 15 अंक का अनुभव अंक प्रदाय किया जावेगा, बशर्ते आवेदक जिस पद पर आवेदन किया हो, उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र हो। (उक्त संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश प्रति एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने की स्थिति में ही परीक्षण उपरांत ही अनुभव मान्य किया जावेगा)

23.8 शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार किसी भी परिस्थिति में अनुभव का कुल अंक (26.6+26.7) 15 अंक से अधिक नहीं होगा।

23.9 शासन के आदेशानुसार भर्ती नियम–2013 एवं संशोधित नियम–2020 में विहित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता का 85 अंक एवं अनुभव का 15 अंक कुल मिलाकर 100 अंक आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। मेरिट के आधार पर 1:10 में संवर्गवार अभ्यार्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज के निरीक्षण उपरांत पात्र–अपात्र सूची जारी की जावेगी एवं दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत मेरिट के आधार पर चयन सह प्रतीक्षा सूची जारी की जोवगी। अभ्यार्थी के दस्तावेज/प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

23.10 मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को संवर्गवार आरक्षण अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

23.11 उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए वैद्य रहेगी।

24. **आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश :–**

24.1 आवेदक केवल शासकीय रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत करें।

24.2 बंद लिफाफे में आवेदन विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन बंद लिफाफे में हो, जिसमें आवेदक स्पष्ट नाम व पता मो. नं. सहित उल्लेखित हो, बंद लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम व संवर्ग उल्लेखित किया जाना अनिवार्य होगा।

24.3 बंद लिफाफे के अंदर आवेदन पत्र एवं विज्ञापन में वांछित समस्त दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित एवं 02 पासपोर्ट साईज कलर फोटो एवं 02 लिफाफा जिसमें आवेदक का नाम व पूरा पता स्पष्ट लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

24.4 आवेदन पत्र में सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक स्पष्ट अक्षरों में भरी जावें, कहीं पर भी कांट–छांट न किया जावे एवं अभ्यर्थी हस्ताक्षर स्थान पर अनिवार्यतः हस्ताक्षर करें।

25. **निर्वचन :–** इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार विभागीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विभागीय चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner